

F-22/5/2013-14/ई.एफ.सी./लघु/31

विषय:- वर्ष 2013-14 के जल संसाधन विभाग की वित्तीय व्यय एवं तकनीकी सलाहकार समिति की संयुक्त पाँचवी बैठक दिनांक 19-03-2014 का कार्यवाही विवरण ।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग की वित्तीय व्यय एवं तकनीकी सलाहकार समिति की संयुक्त पाँचवी बैठक दिनांक 19-03-2014 को अपरान्ह 12:30 बजे कक्ष क्रमांक-212 में सम्पन्न हुई । उक्त बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये:-

स.क्र.	नाम	पद	विभाग
1.	श्री राधेश्याम जुलानिया	प्रमुख सचिव	जल संसाधन विभाग
2.	श्री एम.जी. चौबे	प्रमुख अभियन्ता	जल संसाधन विभाग
3.	श्री अजय चौबे	उप सचिव	वित्त विभाग
4.	श्री मनीष कुमार	उप निदेशक	केन्द्रीय जल आयोग
5.	श्री सी.पी अग्रवाल	सलाहकार	राज्य योजना आयोग
6.	श्री व्ही.के. श्रीवास्तव	वि.क.अ.	जल संसाधन विभाग

## 2. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति:-

प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत 06 निर्माणाधीन लघु सिंचाई परियोजनायें, जिनके पूर्व में स्वीकृत राशि से नीचे दर्शित बिन्दुवार कारणों के मददेनजर शासन के निर्धारित मापदण्डों 10% से अधिक लागत बढ़ने से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तावों पर समिति ने प्रत्येक परियोजना का परीक्षण किया गया।

तत्पश्चात् परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्न अपूर्ण लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों पर पुनरीक्षित प्रशासकीय / निवेश निकासी स्वीकृति इस शर्त पर दिये जाने का निर्णय लिया गया कि परियोजनाओं पर कराये गये अतिरिक्त कार्य की सभी आवश्यक स्वीकृतियों सक्षम स्तर से प्राप्त करने पश्चात् ही अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जावे:-

ए.आई.बी.पी. (45/4702) परियोजनाएँ :-

S. No.	Name of Project	District	Designed Irrigation (In Ha.)	RAA Amount (Rs. in Lakhs)
1	Badera Tank	Damoh	486	1039.51
2	Fatehpur Tank	Damoh	1000	1836.55
3	Amwahi Tank	Damoh	544	1293.55

3 निम्न तालिका में दर्शित परियोजनाओं को उनके समक्ष अंकित कारणों के समाधान कारक न होने से समिति द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर उनके विरुद्ध

कार्रवाई प्रारम्भ करने की शर्त पर आदेश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:-

स.क्रं.	परियोजना का नाम	जिला	लागत वृद्धि पर जांच के बिन्दु
1.	बालोदा कोरन तालाब	उज्जैन	परियोजना के स्थल चैनल में पायलट चैनल एवं गाईड वाल का अतिरिक्त प्रावधान एवं परियोजना की नहर में स्ट्रक्चरो की संख्या में वृद्धि का प्रावधान पूर्व में न किये जाने के कारण ।
2.	अर्दला तालाब	खण्डवा	परियोजना से प्रभावित 44.18 हेक्टर अतिरिक्त निजी भूमि डूब क्षेत्र में आने एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रोड एवं पुलिया का प्रावधान पूर्व में न किये जाने के कारण ।
3.	नावली तालाब	खण्डवा	परियोजना के स्थल चैनल में पायलट चैनल एवं गाईड वाल, नहर में स्ट्रक्चरो की स्वीकृत संख्या में वृद्धि का अतिरिक्त प्रावधान पूर्व में न किये जाने के कारण ।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई ।

(अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

  
09.4.14

(अश्वनी कुमार उपमन्त्री)

अपर सचिव,  
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठा. क्रं. F-22/5/2013-14/ई.एफ.सी./लघु/31(256) दिनांक 09/04/2014

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, वित्त विभाग ।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
3. वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक पाइकू जल संसाधन विभाग भोपाल ।

  
09.4.14

अपर सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग  
9.4.14